मध्य प्रदेश शासन
मुख्य सचिव कार्यालय
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र.....70..../मु.स./2016/CIF   भोपाल, दिनांक .... ~~जनवरी~~ 2016
24 फरवरी

प्रति,

1. समस्त संभागायुक्त, मध्य प्रदेश
2. समस्त जिला कलेक्टर, मध्य प्रदेश
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्य प्रदेश

विषयः—माननीय प्रधान मंत्रीजी द्वारा प्रारम्भ की गई प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के कियान्वयन बाबत्।

=0=

समाधान ऑनलाईन के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना/प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना अंतर्गत आवेदक द्वारा बैंक शाखा/बैंक मित्र/बी0सी0ए0/कियोस्क में प्रस्तुत आवेदन लंबित रहने के कारण बीमा नहीं हो पाया है। आवेदन लंबित रहने का प्रमुख कारण यह ज्ञात हुआ है कि आवेदक का बैंक में खाता नहीं होना अथवा खाते में पैसे नहीं होने से खाता डेबिट नहीं होता है। शासकीय/पंचायत/नगरीय निकाय के अमले द्वारा ऐसे फार्म आवेदक से भरवा लिये गये हैं तथा बैंक शाखा/बैंक मित्र/बी0सी0ए0/कियोस्क में प्रस्तुत भी कर दिये गये हैं परन्तु ऐसे फार्म प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का बीमा हुआ है अथवा नहीं, यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

2. अतः, आपके द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि विभिन्न स्त्रोतों के माध्यम से इन योजनाओं अंतर्गत बैंक शाखा/बैंक मित्र/बी0सी0ए0/कियोस्क आदि में प्रस्तुत किये गये फार्म के विरूद्ध आवेदक का बीमा हुआ है अथवा नहीं। यदि अभी भी बीमा नहीं हुआ है और आवेदन लंबित है तो ऐसे आवेदन के लंबित रहने के कारण के साथ आवेदक को सूचित करते हुए बीमा फार्म वापिस किया जाना सुनिश्चित किया जाये जिससे कि आवेदक को यह ज्ञात रहे कि उसका बीमा किस कारण से नहीं हो सका है। यदि फार्म बगैर किसी कारण के अभी भी लंबित है तो ऐसे व्यक्ति का बीमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाये जिससे कि उसे बीमा कवर प्राप्त हो सके।

3. यहां यह भी अवगत कराया जाता है कि भारत सरकार ने अपने ज्ञाप क्र. एच—12011/2015—बीमा.दो दिनांक 28—12—2015 (छायाप्रति संलग्न) से प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना अंतर्गत बगैर अच्छे स्वास्थ्य के प्रमाण—पत्र के एवं प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना अंतर्गत पंजीयन की अवधि को दिनांक 31—05—2016 तक बढ़ाया जा चुका है।

संलग्नः—उक्तानुसार।

24/2/16

(ॲन्टोनी डिसा)
मुख्य सचिव
मध्य प्रदेश शासन

क्र. 70 /मु.स./2016/CIF भोपाल, दिनांक .... ~~जनवरी~~ 24 फरवरी 2016

प्रतिलिपिः–

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, म0प्र0 शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास/वित्त/नगरीय प्रशासन एवं विकास/जन सम्पर्क, मंत्रालय, भोपाल।
2. समस्त राज्य स्तरीय प्रमुख, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, मध्य प्रदेश।
3. समस्त राज्य स्तरीय प्रमुख, निजी क्षेत्र के बैंक, मध्य प्रदेश।
4. समस्त अध्यक्ष, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मध्य प्रदेश।
5. प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, मर्यादित, भोपाल।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, समस्त जिला सहकारी बैंक, मध्य प्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

24/2/16

मुख्य सचिव
मध्य प्रदेश शासन

F.No.H-12011/2/2015-Ins.II
Government of India
Ministry of Finance
Department of Financial Services

2nd Floor, Jeevan Deep Building,
10, Parliament Street, New Delhi,
Dated: 28th December, 2015

To

Deputy Governor, RBI,
Chairman, NABARD,
Chairman IBA,
Chairman LIC of India,
Chairman GIPSA,
Secretary General, Life Insurance Council,
Secretary General, General Insurance Council.

Sub: Extension of last date of enrolment under Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) and Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY)

Sir,

I am directed to refer to this Department's letter of even number dated 30th September, 2015 and to inform that the **last date for enrolment under PMJJBY (without self-certificate of good health) is further extended from 30.11.2015 to 31.05.2016.**

2. **It is also clarified that the last date for enrolment under PMSBY has also been extended beyond 30.11.2015.** It is pertinent that there is no requirement of any certificate of good health in PMSBY.

3. IBA, GIPSA, Life Insurance Council and General Insurance Council may kindly inform all their respective members. NABARD and RBI may kindly inform all rural and urban Cooperative Banks, respectively.

4. Banks and Insurance Companies are requested to continue to make all efforts to create awareness and access under the schemes to bring larger sections of the population within the ambit of these social security insurance schemes.

Yours faithfully,

(A. K. Misra)
Under Secretary to the Government of India
Tel. 011-23748789

Copy to:

1. **Chairman, IRDAI for information.**
2. **All the SLBC Coordinators and Nodal officers of LIC and GIPSA companies for information and necessary action.**